

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

:: अधिसूचना ::

संचिका संख्या-2/राजस्व सेवा-77/12...../रा0, राँची, दिनांक-.....

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के अधीन राजस्व सेवा संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

"झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तों) नियमावली, 2018" :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- i. संक्षिप्त नाम-यह नियमावली "झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तों) नियमावली, 2018" कही जायेगी।
- ii. विस्तार - इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- iii. प्रारंभ - यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ

- राज्य - राज्य से अभिप्रेत है "झारखण्ड राज्य"।
- सरकार - सरकार से अभिप्रेत है " झारखण्ड सरकार"।
- राज्यपाल -राज्यपाल से अभिप्रेत है "झारखण्ड के राज्यपाल"।
- आयोग - सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोल्हान अधीक्षक, सहायक निदेशक, भू-अर्जन-सह-भूमि अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, उप निदेशक, भू-अर्जन-सह-भूमि अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के संदर्भ में आयोग से अभिप्रेत है "झारखण्ड लोक सेवा आयोग" एवं " राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के संदर्भ में आयोग से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग"
- नियुक्ति प्राधिकार -नियमावली में उल्लेखित राजपत्रित पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है "झारखण्ड के राज्यपाल", अंचल निरीक्षक के लिए नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत हैं "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग" एवं राजस्व उप निरीक्षक के लिए नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है संबंधित "जिला उपायुक्त"।
- संवर्ग नियंत्रि पदाधिकारी -संवर्ग नियंत्रि पदाधिकारी से अभिप्रेत है "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित जिला उपायुक्त"।
- नियमावली -नियमावली से अभिप्रेत है "राजस्व कर्मचारी सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तों) नियमावली, 2018"।
- संवर्ग -संवर्ग से अभिप्रेत है "झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग"।
- सदस्य -सदस्य से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन झारखण्ड सरकार के राजस्व सेवा में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति।
- भर्ती वर्ष -भर्ती वर्ष से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष अर्थात् पहली जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि।
- वरीयता सूची -वरीयता सूची से अभिप्रेत है राजस्व उप निरीक्षकों की वरीयता सूची एवं अंचल निरीक्षकों की वरीयता सूची जो नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो।
- मौलिक नियुक्ति -मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति से है, जो अस्थायी/स्थायी रूप से हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो।
- कालावधि -कालावधि से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप निर्धारित कालावधि।

- आरक्षण— आरक्षण से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु लागू आरक्षण अधिनियम/नियमावली/ संकल्प/अनुदेश के प्रावधान।
- 3. सेवा संवर्ग की रचना—इस सेवा संवर्ग में निम्नांकित पद एवं समकक्ष पद होंगे, उनका वर्गीकरण कालावधि तथा नियुक्ति प्राधिकार समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होंगे :-

क्र०	पदसमूह/श्रेणी	कोटि/ वर्गीकरण	सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर वेतनमान (रूपये में)	छठा अपुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	नियुक्ति प्राधिकार	भर्ती की प्रक्रिया	पदों की संख्या
			Pay matrix level	Grade pay			
1.	राजस्व उप निरीक्षक	अराजपत्रित/ वर्ग—III जिला स्तरीय	21700 3	5200—20200 (PB-I) GP-2000	उपायुक्त	सीधी नियुक्ति	2014
2.	अंचल निरीक्षक—सह— कानूनगो	अराजपत्रित/ वर्ग—III राज्यस्तरीय	35400 6	9300—34800 (PB-II) GP-4200	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव	सीधी नियुक्ति (50%)/प्रोन्नति (25%) /सीमित प्रतियोगिता परीक्षा(25%)	372
3	i. सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी	राजपत्रित/ वर्ग—II राज्यस्तरीय	53100 9	9300—34800 (PB-II) GP-5400	राज्यपाल, झारखण्ड	प्रोन्नति	79
	ii. अंचल अधिकारी	राजपत्रित/ वर्ग—II राज्यस्तरीय	53100 9	9300—34800 (PB-II) GP-5400	राज्यपाल, झारखण्ड	प्रोन्नति	66
4	i. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	राजपत्रित	67700 11	15600—39100 (PB-III) GP-6600	राज्यपाल, झारखण्ड	प्रोन्नति	10
	ii. भूमि सुधार उप समाहर्ता	राजपत्रित	67700 11	15600—39100 (PB-III) GP-6600	राज्यपाल, झारखण्ड	प्रोन्नति	03
	iii. कोल्हान अधीक्षक	राजपत्रित	67700 11	15600—39100 (PB-III) GP-6600	राज्यपाल, झारखण्ड	प्रोन्नति	01
	iv. सहायक निदेशक, भू-अर्जन भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	राजपत्रित	67700 11	15600—39100 (PB-III) GP-6600	राज्यपाल, झारखण्ड	प्रोन्नति	01
5	i. उप निदेशक, भू-अर्जन भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	राजपत्रित	78800 12	15600—39100 (PB-III) GP-7600	राज्यपाल, झारखण्ड	प्रोन्नति	01

नोट—राजस्व कर्मचारी का पदनाम राजस्व उप निरीक्षक किया गया है।

Amf



4. सेवा संवर्ग बल—संवर्ग के प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या तथा उनकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा वर्तमान में अवधारित/स्वीकृत की गयी है तथा उसके बाद की तिथियों में सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की जाएगी।

5. संवर्ग इकाई का प्रारम्भिक गठन:— संवर्ग के न्यूनतम स्तर का पद अर्थात् मूल पद राजस्व उप निरीक्षक का होगा जिसके पदों को झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

6. राजस्व उप निरीक्षक :-

6.1 नियुक्ति प्राधिकारी :-

1. राजस्व उप निरीक्षक -वर्ग -III (अराजपत्रित) के नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला के उपायुक्त होंगे।

6.2 वेतनमान :-

पद समूह/श्रेणी	सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर वेतनमान
(1) राजस्व उप निरीक्षक	21700

नोट:—कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड एवं योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त कर्मियों के वार्षिक वेतन वृद्धि की जायेगी। वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

6.3 संवर्ग में राजस्व उप निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया :- राजस्व उप निरीक्षक के कुल स्वीकृत पदों में शत प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों की अनुशंसित मेधासूची से की जायेगी।

उम्मीदवारों को योगदान के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जाएगा। किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणीत की जायेगी।

6.4 सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता/अर्हताएँ :-

शैक्षणिक योग्यता :-

(i) किसी भी मान्यता प्राप्त इन्टरमीडियट बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से इन्टरमीडियट (10+2) की योग्यता रखना अनिवार्य होगा।

(ii) **उम्र**— उम्र निर्धारण हेतु कट-ऑफ डेट अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त रहेगी। सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष की 1ली अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होगी एवं अधिकतम आयु वही होगी, जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित है अथवा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

(iii) **रिक्तियों का निर्धारण** :- प्रत्येक पंचांग वर्ष की 1ली जनवरी तक उत्पन्न रिक्तियों का निर्धारण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा। उक्त निर्धारित रिक्तियों का संसूचन राज्य सरकार के माध्यम से सक्षम आयोग को किया जाएगा।

(iv) **शारीरिक योग्यता** :- जबतक कि उम्मीदवार दक्षतापूर्वक शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य सम्पादन के लिए सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थापित न करें, तबतक उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी।

(v) **पाठ्यक्रम** :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इन्टरमीडियट स्तरीय पदों पर चयन के लिए समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम।

(vi) **चरित्र प्रमाण पत्र** :- चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के पूर्व संबंधित थाना द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vii) **प्रशिक्षण** :- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार परीक्ष्यमान अवधि में राजस्व उप निरीक्षक हेतु प्रशिक्षण की एक रूप रेखा तैयार कर तदनुरूप प्रशिक्षण दी जायेगी। राजस्व उप निरीक्षकों को विहित प्रशिक्षणों में भाग लेना एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(viii) **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा** :- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संसूचित रिक्त पदों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के मापदंड के अनुसार आयोग इन्टरमीडियट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा।

7. **अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो** :-

7.1 **नियुक्ति प्राधिकार**— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग होंगे।

7.2 अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के कुल स्वीकृत/अवधारित पदों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं 25 प्रतिशत पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अर्हता प्राप्त राजस्व उप निरीक्षकों से प्रोन्नति द्वारा



नियुक्त किए जाएंगे तथा शेष 25 प्रतिशत पद वरीयता सह योग्यता के आधार पर राजस्व उप निरीक्षकों से भरे जायेंगे।

7.3 वेतनमान :-

पद समूह/श्रेणी	सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर वेतनमान
(1) अंचल निरी० सह कानूनगो	35400

नोट:-कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड एवं योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के पद पर नियुक्त कर्मियों के वार्षिक वेतन वृद्धि की जायेगी। वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

7.4 सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया :- कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सफल एवं आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को मेधा सूची के आधार पर अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

उम्मीदवारों को योगदान के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जाएगा। किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणीत की जायेगी।

7.5 सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता/अर्हताएँ :-

(i) **शैक्षणिक योग्यता:-** U.G.C. से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।

(ii) **उम्र :-** उम्र निर्धारण हेतु कट-ऑफ डेट अधियाचना वर्ष की 1 ली अगस्त रहेगी। सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष की 1ली अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होगी एवं अधिकतम आयु वही होगी, जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित अथवा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।

(iii) **शारीरिक योग्यता :-** जबतक कि उम्मीदवार दक्षतापूर्वक शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य सम्पादन के लिए सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थापित न करें तबतक उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी।

(iv) **प्रशिक्षण :-** राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार परीक्ष्यमान अवधि में अंचल निरीक्षकों हेतु प्रशिक्षण की एक रूप रेखा तैयार कर तदनु रूप प्रशिक्षण दी जायेगी। अंचल निरीक्षकों को विहित प्रशिक्षणों में भाग लेना एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

Carfe



(v) चरित्र प्रमाण-पत्र :- चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के पूर्व संबंधित थाना द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vi) पाठ्यक्रम :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा वर्ग III (अराजपत्रित) के स्नातक स्तरीय पदों पर चयन के लिए समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम।

(vii) रिक्तियों का संसूचन :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कुल स्वीकृत संख्या बल के आलोक में 50 प्रतिशत रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति एवं 25 प्रतिशत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु रिक्तियों की गणना प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1ली जनवरी के आधार पर करते हुए अध्याचना आयोग को भेजी जायेगी।

(viii) आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा :- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संसूचित रिक्त पदों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के मापदण्ड के अनुसार आयोग स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा।

7.6 (क) प्रोन्नति-सह-नियुक्ति हेतु चयन समिति :- प्रोन्नति समिति में निम्न सदस्य होंगे:-

i. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग - अध्यक्ष

ii. प्रभारी विशेष/अपर/संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग - सदस्य

iii. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा

राजभाषा विभाग द्वारा SC/ST के मनोनीत प्रतिनिधि

(जो उप सचिव से न्यून स्तर के न हों)

- सदस्य

iv. उप सचिव(संवर्ग प्रभारी) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

- सदस्य सचिव

7.7. प्रोन्नति की प्रक्रिया :-

प्रोन्नति की प्रक्रिया :-

(क) अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राजस्व उप निरीक्षक द्वारा भरे जायेंगे। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए U.G.C द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की योग्यता एवं अन्य शर्तें अनिवार्य होंगी।

i. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए राजस्व उप निरीक्षकों की न्यूनतम सेवा 10 वर्ष होना चाहिए।

ii. पाँच वर्षों की चारित्री अभियुक्ति प्रोन्नति के लिए अनिवार्य होगी।

iii. कोई भी विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं हो।

iv. कोई भी अपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं हो।

v. राजस्व उप निरीक्षक की सेवा सम्पुष्ट हो।

vi. निलंबित नहीं होना चाहिए।

vii. कम्प्युटर की दक्षता प्राप्त हो।

viii. हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ख) शेष 25 प्रतिशत पदों पर वरीयता सह योग्यता एवं सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के आधार पर राजस्व उप निरीक्षक संवर्ग के कर्मी से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। उपरोक्त पद हेतु शैक्षणिक योग्यता अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप (स्नातक उत्तीर्ण) अनिवार्य रहेगी।

नोट:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु समय-समय पर निर्धारित कालावधि इनके मामले पर अक्षरशः प्रभावी होंगे।

8. **नियुक्ति की संपुष्टि :-** 2 (दो) वर्षों की निर्धारित संतोषजनक परीक्ष्यमान सेवा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति का पुष्टिकरण/संपुष्टि संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी। बशर्ते कि :-

(क) विहित विभागीय परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण में उत्तीर्ण हो,

(ख) कर्तव्य और आचरण संतोषजनक पाया गया हो,

(ग) भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो।

(घ) नियुक्ति प्राधिकार का समाधान हो जाय कि वह अपने पद पर सम्पुष्टि के योग्य है।

(च) परीक्ष्यमान राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का नियुक्ति पदाधिकारी यदि कार्यकलाप के आधार पर आवश्यक समझें तो किसी एक या एकाधिक मामलों में परिवीक्षा की अवधि को अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ा सकेंगे।

(छ) परिवीक्षाधीन राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का कार्यकलाप यदि संतोषजनक नहीं हो अथवा वे चरित्र के दोषी पाये जायेंगे, तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी, चाहे वह अवधि परिवीक्षा की हो या उसकी परिवीक्षा विस्तार अवधि हो।

स्पष्टीकरण :- उक्त दोषी परिवीक्षाधीन कर्मी को लिखित रूप में कारण बताओ सूचना का जबाब देने का अवसर दिया जाएगा। सूचना में यह दिया रहेगा कि उसे किस आधार पर सेवा से हटाया जाना है, और इस संबंध में आदेश निर्गत करने के पूर्व उससे प्राप्त उत्तर पर सम्यक रूप से विचार कर लिया जाएगा।

9. **सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी :-**

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के कुल स्वीकृत 105 (एक सौ पाँच) पदों का 25% अर्थात् 26 (छब्बीस) पद झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि में चिन्हित होगा। इन 26 (छब्बीस) पदों को छोड़कर अवशेष 79 (उन्चासी) पदों को अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के योग्यताधारी पद धारकों से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जायेगा।

अंचल अधिकारियों के कुल स्वीकृत 264 (दो सौ चौसठ) पदों का 75% अर्थात् 198 (एक सौ अनठानवे) पद झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि में चिन्हित होगा। इन 198 (एक सौ अनठानवे) पदों को छोड़कर अवशेष 66 (छियासठ) पदों को अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की अध्यक्षता में गठित विभागीय



प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के योग्यताधारी पद धारकों वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जायेगा।

9.1. वेतनमान-

पद समूह / श्रेणी	सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर वेतनमान
(1) सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी / अंचल अधिकारी	53100

नोट:-कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड एवं योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में वार्षिक वेतन वृद्धि की जायेगी। वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

9.2 प्रोन्नति हेतु चयन समिति :- प्रोन्नति समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

1. अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची अथवा उनके द्वारा मनोनीत आयोग के सदस्य -अध्यक्ष
2. विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग -सदस्य
3. प्रभारी विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग -सदस्य
4. निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय -सदस्य
5. संवर्ग प्रभारी उप सचिव -सदस्य सचिव
6. कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत SC/ST के प्रतिनिधि/ (उप सचिव से न्यून स्तर के न हों) -सदस्य

9.3 प्रोन्नति की प्रक्रिया :-

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के कुल 105 (एक सौ पाँच) पद में से कुल 79 (उन्चासी) पदों एवं अंचल अधिकारी के कुल 264 (दो सौ चौसठ) पद में से 66 (छियासठ) पदों पर वरीयता सह योग्यता एवं सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के आधार पर अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के वैसे कर्मी, जो प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित अहर्ता रखते हो :-

- i. प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि -कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित परिपत्र के अनुसार।
- ii. 5 वर्षों की चारित्रि अभियुक्ति अनिवार्य होगी।
- iii. कोई भी विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं हो।
- iv. कोई भी अपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं हो।
- v. निलंबित नहीं हो।
- vi. कम्प्युटर की दक्षता प्राप्त हो।
- vii. सेवा संपुष्ट हो।
- viii. हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हो।



- 9.4 झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के अनुरूप सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी में प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रशिक्षण, राजस्व अभिलेख एवं न्यायिक अभिलेख तैयार करना तथा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
10. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता/कोल्हान अधीक्षक/सहायक निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख –सह-परिमाण निदेशालय पद समूह/श्रेणी :-

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के इस श्रेणी में प्रोन्नति हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कुल 10 (दस) पदों, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कुल 03 (तीन) पदों, कोल्हान अधीक्षक के 01 (एक) पद एवं सहायक निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख-सह- परिमाण निदेशालय के 01 (एक) पद, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के योग्यताधारी पद धारकों से वर्यता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जायेगा।

10.1 वेतनमान-

पद समूह/श्रेणी	सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर वेतनमान
(1) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी / भूमि सुधार उप समाहर्ता/ कोल्हान अधीक्षक/सहायक निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख-सह- परिमाण निदेशालय	67700

- 10.2 प्रोन्नति हेतु चयन समिति :- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के लिए इस श्रेणी में प्रोन्नति हेतु निर्धारित समिति।

10.3 प्रोन्नति की प्रक्रिया :-

प्रोन्नति हेतु निम्नलिखित अहर्ता आवश्यक होगा-

- प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित परिपत्र के अनुसार।
- 05 (पाँच) वर्षों की चारित्री अभ्युक्ति अनिवार्य होगी।
- कोई भी विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं हो।
- कोई भी अपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं हो।
- निलंबित नहीं हो।
- सेवा संपुष्ट हो।
- हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हो।



11. उप निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय :-

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के इस श्रेणी में प्रोन्नति हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर उप निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय 01 (एक) पद को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता/कोल्हान अधीक्षक/सहायक निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के योग्यताधारी पद धारकों से वरयीता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जायेगा।

वेतनमान-

पद समूह/श्रेणी	सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर वेतनमान
(1) उप निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	78800

11.1 प्रोन्नति हेतु चयन समिति :- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के लिए इस श्रेणी में प्रोन्नति हेतु निर्धारित समिति।

11.2 प्रोन्नति की प्रक्रिया :-

प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित अहर्ता होगा :-

- प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित परिपत्र के अनुसार।
- 5 वर्षों की चारित्र्य अभ्युक्ति अनिवार्य होगी।
- कोई भी विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं हो।
- कोई भी अपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं हो।
- निलंबित नहीं हो।
- सेवा संपुष्ट हो।
- हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हो।

12. प्रोन्नति का पद सोपान (वेतनमान/प्रोन्नति की प्रक्रिया सहित):-

क्र. सं.	निम्नतर पद एवं सातवें पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	योग्यता	नियुक्ति का प्राधिकार	उच्चतर पद एवं सातवें पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि	नियुक्ति/ प्रोन्नति की प्रक्रिया	नियुक्ति की प्रकृति
1	राजस्व उप निरीक्षक, वेतनमान- 21700	इण्टरमीडियट (10+2)	जिला के उपायुक्त	अंचल निरीक्षक-सह - कानूनगो, वेतनमान 35400	10 वर्ष	i. अंचल निरीक्षक-सह- कानूनगो के 50% पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती से। ii. 25% पद पर वरीयता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा। iii. 25% पद	1.कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसा के आधार पर। 2. राज्य स्तरीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर। 3. कर्मचारी

						सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर।	चयन आयोग द्वारा अनुशंसा के आधार पर।
2	अंचल निरीक्षक—सह—कानूनगो, वेतनमान—35400	स्नातक व समकक्ष	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी / अंचल अधिकारी, वेतनमान—53100	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित परिपत्र के अनुसार।	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर	राज्य स्तरीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा पर।
3	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी / अंचल अधिकारी, वेतनमान—53100	स्नातक व समकक्ष	राज्यपाल, झारखण्ड	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोल्हान अधीक्षक एवं सहायक निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख—सह— परिमाण निदेशालय, वेतनमान—67700	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित परिपत्र के अनुसार।	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर	राज्य स्तरीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा पर।
4	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोल्हान अधीक्षक एवं सहायक निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख—सह— परिमाण निदेशालय, वेतनमान—67700	स्नातक व समकक्ष	राज्यपाल, झारखण्ड	उप निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय वेतनमान—78800	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित परिपत्र के अनुसार।	विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर	राज्य स्तरीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा पर।
5	उप निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, वेतनमान—78800	स्नातक व समकक्ष	राज्यपाल, झारखण्ड	—	—	—	—

13. आरक्षण :- राज्य सरकार में नियुक्ति / प्रोन्नति के लिए लागू आरक्षण अधिनियम / नियमावली / संकल्प / अनुदेश के प्रावधान इस संवर्ग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों के लिए लागू होंगे।



14. वरीयता का निर्धारण :-

- (i) पूर्व में नियुक्त कर्मियों की वरीयता उस पद पर [राजस्व उप निरीक्षक (पूर्व में राजस्व कर्मचारी) अथवा अंचल निरीक्षक, जो लागू हो] उनके योगदान की तिथि से निर्धारित तथापि योगदान की तिथि समान होने पर उनके जन्म तिथि के अनुसार वरीयता का निर्धारण होगा।
- (ii) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित कर्मियों की आपसी वरीयता का निर्धारण मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा।
- (iii) अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगों संवर्ग में एक ही समव्यवहार में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त एवं सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मी वरीय होंगे।
15. **विभागीय परीक्षा** :- हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा जनजातीय भाषा (संथाली, मुण्डारी, कुडुख (उराँव) एवं हो में से किसी एक में) अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र/निदेश के अनुरूप की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
16. **प्रशासनिक नियंत्रण** :- राजस्व उप निरीक्षक का संवर्ग जिला स्तरीय होगा तथा अंचल-निरीक्षक-सह-कानूनगों का संवर्ग राज्य स्तर का होगा। जिला के उपायुक्त के नियंत्रणाधीन सभी राजस्व उप निरीक्षक होंगे।
17. **अनुशासनिक कार्रवाई** :- सेवा में अनियमितता बरतने पर अनुशासनिक कार्रवाई "झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016" के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य नियम/निर्देश के तहत की जायेगी।
18. **निरसन और व्यावृत्ति** :- इस संबंध में विभाग के पूर्व के प्रासंगिक संकल्प/परिपत्र आदि इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निरस्त समझे जायेंगे। ऐसे निरसन के बावजूद उक्त संकल्प/परिपत्र आदि के तहत किये गये कार्य इस नियमावली के तहत किये गये कार्य समझे जायेंगे।
19. **विनियमन** :- इस नियमावली द्वारा की गयी व्यवस्था के सिवाय संवर्ग के किसी श्रेणी में नियुक्त व्यक्ति का वेतन (जिसके अन्तर्गत वेतन का निर्धारण भी है) भत्ते, छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें तत्समय उस हेतु प्रवृत्त सामान्य नियमों या आदेशों द्वारा विनियमित होगा।
20. **कठिनाई निवारण** :- इस नियमावली को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार आवश्यकतानुसार अधिसूचना द्वारा निराकरण कर सकेगी।
21. विभागीय अधिसूचना सं०-549, दिनांक-24.2.2012 द्वारा निर्गत "झारखण्ड राजस्व कर्मचारी सेवा संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2011" इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से विलोपित समझी जायेगी।
22. उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-18.04.2018, के मद सं०-11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राम कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2/राजस्व सेवा -77/12...1764/रा०, राँची, दिनांक-...25-04-18

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।